न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 336 / 2021 निर्णय दिनांक :– 17.10.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कान्ता पुत्री ग्यारसा जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. काना पुत्र छोटू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. किशनलाल पुत्र गौरू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. किशनी पुत्री कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. गुलाब पुत्री कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. चोथमल पुत्र छोटू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. जगदीश पुत्र छगना जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
8. जनता पुत्री ग्यारसा जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
9. झमकू पुत्र छगना जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
10. दुर्गालाल पुत्र चन्दा जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
11. नन्दू पुत्री कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
12. नन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
13. नर्बदा पुत्री गोरू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
14. प्रेम पुत्री कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
15. फूंदी पत्नी छोटू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
16. भूरा पुत्र छगना जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
17. मथुरा पुत्री कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.

18. मनभरी पुत्री कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
19. रामनारायण पुत्र छोटू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
20. रामा पुत्र कल्याण जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
21. शंकर उर्फ घासी पुत्र छोटू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
22. श्योजी पुत्र छोटू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
23. शांति पुत्री गोरू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
24. सजना पुत्र चन्दा जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
25. समोदरा पुत्री गोरू जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
26. सीता पत्नी चन्दा जाति लौधान निवासियान डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
27. कैलाशी पुत्र घीसा दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
28. कान्ता देवी पत्नी रमेश दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
29. कोमल पुत्री रमेश दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
30. नारायणी पत्नी घीस्या दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
31. राजेन्द्र पुत्र घीस्या दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
32. रामसिंह पुत्र रमेश दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
33. लक्ष्मण पुत्र रमेश दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
34. शंकर पुत्र घीस्या दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
35. सन्जू पुत्री रमेश दरोगा जाति दरोगा निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
36. कमला पत्नी स्व. खाना रेगर जाति रेगरान निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
37. पिंकी पुत्री खाना रेगर जाति रेगरान निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.

38. फूलबन्ता पुत्री खाना रेगर जाति रेगरान निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
39. मदन पुत्र खाना रेगर जाति रेगरान निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. खानकंवर पुत्री केसरसिंह पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी नावटीला (नया टीला) तहतील पीपलू जिला टोंक राज.
2. गोपालकंवर पुत्री केसरसिंह पत्नी सज्जनसिंह राजपूत निवासी नावटीला (नया टीला) तहतील पीपलू जिला टोंक राज.
3. रघुनाथ सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. शोराजसिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. गिरधर सिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. चांदकंवर पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
8. रामसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज.
9. विष्णुकंवर पुत्री भंवर सिंह पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कड़ीला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
10. तहसीलदार जी देवली

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए–राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थीगण 1 ता 26 की सयुंक्त खातेदारी की आराजियात हाल ख. नं. 10 रकबा 0.17 है0, ख0न0 11 रकबा 0.16 है, ख0न० 115 रकबा

0.21 है0, ख. नं. 116 रकबा 0.20 है0, ख0 न0 117 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 118 रकबा 0.19 है0, ख0 न0 119 रकबा 0.18 है0, ख0 न0 12 रकबा 0.16 है0, ख0 न0 13 रकबा 0. 34 है0, ख0 न0 9 रकबा 0.35 है0, किता 10 कुल रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान के खातेदार दाखा पत्नी गौरू व माना पत्नी ग्यारसा का देहान्त हो गया है उनके वारिसान पहले से ही उक्त खसरा नम्बर मे खातेदार है अभी तक दोनों की मृत्यु का फोती का नामान्तरकरण नहीं भरा है। वादीगण 27 से लेकर 35 की सयुंक्त खातेदारी व कब्जे की आराजी हाल खा0न0 208 रकबा 0.35 हे०, ख0 न० 277 रकबा 0.23 है0, ख०न० 31 रकबा 1.58 है0 किता 3 कुल रकबा 2.16 है0, वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली स्थित है और मोके पर काबिज है । प्रार्थीगण 36 से लेकर 39 की सयुंक्त खातेदारी की आराजियात हाल ख0न0 16 रकबा 1.43 है0 ख0 न0 19 रकबा 1.09 है0 किता 2 कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली स्थित है और मोके पर काबिज है । काना पुत्र बिरधा का देहान्त हो गया है अभी तक फोती का नामान्तरकरण नहीं खुला है, प्रार्थीगण 36 से लेकर 39 मृतक काना पुत्र बिरधा के जायज कायम मुकामान है। आवेदन के चरण न० 1 में वर्णित आराजियात सभी आवेदकगण को खातेदारी में है ओर उक्त भूमि ग्राम डाबरबुर्द में स्थित है। सभी आवेदकगण प्रतिपक्षीगण की खातेदारी के खेत ख0न0 1 रकबा 0.14 है0, वाके ग्राम डाबरकला में से होकर वर्षों से आते–जाते रहे है और वर्तमान मे भी आते–जाते रहे है।, ख. नं. 847 में से होकर प्रार्थीगण ख0न0 1 मे से होकर आते–जाते है ख0 न0 847 पूर्व में सिवायचक था लेकिन प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली व श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को बार बार प्रार्थना पत्र देने से उपरोक्त अधिकारीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 847 रकबा 0.39 है0, को राजस्व रिकोर्ड मे गै. मु. रास्ता अंकित कर दिया गया है उसके पश्चात ख. न. 1 जो प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में जो ग्राम डाबरकलां में स्थित है उसमे से होकर प्रार्थीगण अपने मकानो में व खेतो में आते–जाते है, प्रार्थीगण ने खेतो मे अपने खेती सम्बन्धित औजार, खाद्य बीज रखने के लिऐ कमरो का निर्माण करा रखा है और ख. न. 847 के रास्ते ख0 न0 1 मे से होते हुऐ प्रार्थीगण व सभी ग्रामवासी जाते–जाते है, उक्त गांव में आने–जाने के लिये केवल मात्र यही एक रास्ता है। रास्ता बन्द होने से उक्त ग्राम के पढ़ने वाले बच्चे जो डाबरकलां स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साईकिल से पढने जाते है उनको काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को ईलाज के लिये जाने में काफी परेशानी होती है। किसी को मृत्यु होने पर शव को शमशान ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण व ग्रामवासियान को ख. नं. 1 में से होकर आना जाना पडता है । प्रतिपक्षीगण ने ख. नं. 847 जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा ख. नं. 1 में से जो रास्ता आना जाने का बना हुआ है उसमें नाजायज रूप से अतिक्रमण कर खम्भे गाढ कर तारो की तारबन्दी कर दी है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को अपने खेतो मे आने–जाने के लिऐ ख. नं. 1 मे से 20 फिट चोड़े

रास्ते को अत्यन्त आवयश्कता है जिस रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है उसे संलग्न नक्शे में ए–बीसी–डी–सेदर्शाया गया है। प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार डी–एल–सी–रेट की दुगनी राशि जमा कराने को तैयार है। पक्षकारान व आराजियात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से माननीय न्यायालय को उक्त आवेदन का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मीणा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 1 प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थीगण मृतको का राजस्व रिकार्ड में विधिवत् रूप से नामान्तकरण खुलवा कर प्रार्थना पत्र पेश करे। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 प्रार्थीगण स्वयं साबित करे । प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। प्रार्थीगण मृतकों का राजस्व रिकार्ड में विधिवत् रूप से नामान्तकरण खुलवा कर प्रार्थना पत्र पेश करे। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 में लिखी गई ईबारत कृषि भूमि ग्राम डाबरखुर्द में स्थित होना स्वीकार है, शेष ईबारत गलत है, अस्वीकार है। वर्तमान में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.14है. ग्राम डाबरकला में से नहीं आते–जाते है। बल्कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 847 में से होकर खसरा नम्बर 846 से होते हुए खसरा नम्बर 2 के उत्तर दिशा की ओर 10 फिट बने रास्ते से आते–जाते है और उसी का उक्तानुसार उपयोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से लिखा है, गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 अपने के समय से ही अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 के खेत के चारो ओर पुरानी डोल लगी हुई है एवं उक्त डोल पर ही तारबंदी हो रखी है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 846 में हुए खसरा नम्बर 2 के उत्तर दिशा की ओर रास्ते आते–जाते हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 के पास केवल मात्र उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 खातेदारी की भूमि है। जिसमें अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 का काफी बड़ा परिवार है, जिनमें सभी के मात्र कुछ रकबा ही हिस्से में आता है। जिससे ही अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 का सम्पूर्ण परिवारजन अपना पालन–पोषण करते है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 की उक्त सीमित खसरा नम्बर 1 में से गलत रूप से 20 फिट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जो गलत है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 846 व खसरा नम्बर 2 में से मात्र 10 फिट चौडा रास्ता दिया जाना चाहिए। कृषि भूमि में कृषि कार्य करने के लिए ट्रेक्टर आदि उपकरण ले जाने के लिए 10 फिट चौड़ा रास्ता पर्याप्त है। वर्तमान में ग्राम डाबरखुर्द में कृषि भूमि की बाजार दर दस लाख रूपये प्रतिबीघा की है। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 9 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.14है. जो काफी कृषि भूमि .से यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण नं. 1 ता एवं इनके पारिवारिक सदस्यों के सामने भूखे मरने की नोबत आ जायेगी तथा इनके पास अपना भरण–पोषण करने के लिए अन्य कोई भूमि भी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 846 व खसरा नम्बर 2 में से ही रास्ता दिया जाना

न्यायोचित है। अतिरिक्त कथनः–प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 847 से होते हुए खसरा नम्बर 1 में से रास्ता चाहा गया है जो गलत है। खसरा नम्बर 1 एवं खसरा नम्बर 847 के मध्य खसरा नम्बर 846 की भूमि स्थित है। जिसका अंकन प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण खसरा नम्बर 847 में से होते हुए खसरा नम्बर 846 में होकर खसरा नम्बर 2 में उत्तर दिशा की ओर रास्ते में आते–जाते है। इस प्रकार खसरा नम्बर 846 का प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं करने एवं प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 846 में से रास्ता नहीं चाहने से प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–बाबत बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 6.10 मीटर तथा लम्बाई 36 मीटर होगी कुल क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर अर्थात 0.0220 है0 होगी । चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 428501/– रु प्रति है0 है जिसकी एक गुना राशि 9428/– रूपये व दुगनी प्रतिकर राशि 18856/– रूपये बनते है। आवेदक की आराजी ग्राम डॉबरखुर्द मे खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थी ग्राम डबरकला के खसरा नम्बर 1 से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। ग्राम डॉबरकला के पूर्व में दर्ज खसरा नम्बर 846 व 847 गै०मु० रास्ता होते हुये डॉबरखुर्द के खसरा नम्बर 9,10,11,12,13 मे पहुँच मार्ग होगा । प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरचंना पेड़ आदि नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिये सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बंधित नही है। अतः नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस व डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान कि सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भी यह सबसे छोटा रास्ता बनता है। राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 846 व 847 गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. जिसको प्रार्थना में अंकन की आवश्यकता नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि ख. नं. 1 व ख. नं. 847 के बीच ख. नं. 846 गै. मु. रास्ता दर्ज है

जिसका प्रार्थना पत्र में अंकन होना चाहिए। अप्रार्थीगण के पास मौके पर केवल एक ही खेत है जिसका रकबा भी बहुत कम है। इसमें से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। अप्रार्थीगण ने कोई तार्किक नजदीकी रास्ता अपने जवाब व बहस में नही बताया है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली के ख. नं. 1 में रास्ते की चौडाई 6.10 मी0 एवं कुल लम्बाई 36 मी0 है जिसका कुल क्षेत्रफल 220 वर्ग मी0 अर्थात 0.0220 है0 है, जिसकी डीएलसी दर 428501/– रूपये प्रति है0 है। कुल क्षैत्रफल 220 वर्ग मी0 अर्थात 0.0220 है0 के लिए जिसकी एक गुना राशि प्रतिकर राशि 9428/– रू0 एवं दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 18856/– रूपये प्रार्थीग अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली